तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ

17.9.21

दरीख गवाही उप० / वास्ते कार्यवाही दिनांक 17/11/21 को पेश हो

[signature]

3.11.21

तहसीलदार बौंली से उक्त प्रकरण में आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उप० है। पत्रावली नियत तिथि से तलब की जाकर आज मुकाम पचाँमल कुशलपुरा में पेश हुई। प्रार्थिया का कथन है कि जमाबन्दी संवत 2034 लगायत 2042 खाता संख्या 41 में नामान्तरण संख्या 246 दिनांक 16.4.86 द्वारा मृतक कुल्या का विरासत का नामान्तरण धीवर, धंसराज, जियाराम, रमेश, विश्राम, मुल्या व ~~[illegible]~~ मु० आनन्दी बेवा कुल्या के नाम विरासत के नामान्तरण का नोट लगाया गया है कि जबकि प्रार्थिया के मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड में जीवाराम पुत्र कुल्यान अंकित है जिसे शुद्ध किया जाये

तहसीलदार बौंली से रिपोर्ट तलब की गयी जो पत्रांक 76 दिनांक 27.10.2021 से प्राप्त होने पर ग्राम लालगपुर कैम्प में पत्रावली के साथ पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार ने प्रा० पत्र की ~~[illegible]~~ ताईद की है। तथा नामान्तरण संख्या 246 दिनांक 16.4.86 की ~~[illegible]~~ प्रति भी प्रस्तुत की।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमारे नामान्तरण संख्या 276 दिनांक 16.4.86 का ध्यानपूर्वक गहन अध्ययन व मनन किया तो पाया गया कि नामान्तरण के कालम संख्या 11 मे फुल्ला की विरासत बाबत इन्द्राजात है। जिसमे धीता, हंसराज, सीताराम, रमेश पुत्र फुल्ला व मु० आनन्दी बेवा फुल्ला दर्ज रिकार्ड है। इससे ऐसा प्रतीत हो कि उक्त नामान्तरण का नोट लगाने के दौरान पटवारी हल्का द्वारा सीताराम के स्थान पर सियाराम अंकित कर दिया जो पटवारी हल्का की लिपिकीय त्रुटि है तथा वर्तमान के भी उसानुसार ही जमाबन्दी चौसाला संवत 2071-74 की खाता संख्या 33 मे सियाराम ही दर्ज हो रहा है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। उक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य मे तहसीलदार बोली को निर्देश दिये जाते है कि वह ग्राम गुडलापड़ा की जमाबन्दी चौसाला संवत 2071-74 की खाता संख्या 33 मे सियाराम के स्थान पर सीताराम शुद्ध किया जावे। शेष इन्द्राजात पूर्वत यथावत रहेंगे। आदेश आज दिनांक 8.11.21 को शिविर मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]